

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 31-03-2026

विषय सूची

भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर: लैंसेट अध्ययन
ईरानी संसद परमाणु संधि से संभावित बाहर निकलने पर विचार कर रही है
विश्व व्यापार संगठन का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन
रॉकेट के पुनः प्रवेश से वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न होता है

संक्षिप्त समाचार

जनगणना 2027

अरब लीग

भारत में बीमा कंपनियों हेतु लेखा मानक ढाँचा

आंध्र प्रदेश में जहाज निर्माण एवं मरम्मत क्लस्टर

“भावसागर” रेफरल केंद्र

GRSE द्वारा भारतीय नौसेना को तीन अग्रिम पंक्ति प्लेटफ़ॉर्म की आपूर्ति

भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर: लैंसेट अध्ययन


संदर्भ

- द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि भारत अब भी वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु के सबसे अधिक मामलों वाले देशों में शामिल है।

प्रमुख निष्कर्ष

- 2015 के बाद प्रगति की गति धीमी हो गई, जबकि इससे पहले वर्षों में तीव्र गिरावट दर्ज की गई थी।
- वर्ष 2023 में गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित कारणों से विश्वभर में लगभग 2.4 लाख महिलाओं की मृत्यु हुई।
- इनमें से भारत में लगभग 24,700 मृत्यु हुईं, जिससे भारत नाइजीरिया, पाकिस्तान और इथियोपिया के साथ उच्च भार वाले देशों में शामिल है।

INDIA MATERNAL HEALTH: THE NUMBERS



- 1990 से मातृ मृत्यु में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसका श्रेय बेहतर जागरूकता, संस्थागत प्रसव और सरकारी कार्यक्रमों को जाता है। हालांकि राज्यों के बीच प्रगति असमान है।
 - केरल और तमिलनाडु वैश्विक लक्ष्यों के करीब हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मातृ मृत्यु दर अब भी अधिक है।
- भारत में मौतें अब भी मुख्यतः रोके जा सकने वाले कारणों जैसे रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप संबंधी विकार, संक्रमण और पूर्व-स्थित बीमारियों से जुड़ी जटिलताओं के कारण होती हैं।

मातृ मृत्यु क्या है?


- मातृ मृत्यु:** गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था समाप्त

होने के 42 दिनों के अंदर किसी भी कारण से होने वाली महिला की मृत्यु, जो गर्भावस्था से संबंधित या उससे बड़ी हुई हो, लेकिन आकस्मिक या असंबंधित कारणों से नहीं।

- मातृ मृत्यु अनुपात (MMR):** प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या।
- मातृ मृत्यु दर:** 15-49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में प्रति लाख महिलाओं पर मातृ मृत्यु की संख्या, जिसे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के तहत रिपोर्ट किया जाता है।
- सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.1:** वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को 70 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों से कम करना।

भारत की प्रगति (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019-21)

- भारत में MMR 2014-16 में 130 से घटकर 2018-20 में 97 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म हो गया।
- संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय स्तर पर 2015-16 में 79% से बढ़कर 2019-21 में 89% हो गया।
- केरल, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तमिलनाडु में संस्थागत प्रसव 100% है, जबकि 18 अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में यह 90% से अधिक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% और शहरी क्षेत्रों में 94% प्रसव संस्थानों में होते हैं।



भारत के सामने चुनौतियाँ

- **उच्च आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय (OOPE):** नीतिगत प्रयासों के बावजूद परिवारों को आपातकालीन स्थिति में जांच, दवाइयों और निजी सेवाओं का व्यय उठाना पड़ता है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:** लैंगिक असमानता, कम शिक्षा स्तर, महिलाओं की सीमित निर्णय लेने की शक्ति और मातृ देखभाल से जुड़ा कलंक समय पर उपचार में बाधा डालते हैं।
- **उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में वृद्धि:** देर से मातृत्व, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गर्भधारण के बीच कम अंतराल जैसी प्रवृत्तियाँ जोखिम बढ़ाती हैं।
- **दूरदराज क्षेत्रों में कमजोर अवसंरचना:** ग्रामीण, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में आपातकालीन प्रसूति देखभाल, विश्वसनीय परिवहन एवं रक्त भंडारण सुविधाओं की कमी है।

मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु सरकारी पहल

- **जननी सुरक्षा योजना (JSY):** 2005 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। यह विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मातृत्व लाभ कार्यक्रम।
 - इसमें प्रथम जीवित संतान के लिए ₹5000 की सहायता दी जाती है।
 - **मिशन शक्ति (PMMVY 2.0):** दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन, यदि वह बच्ची हो।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** 2016 में शुरू, प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल उपलब्ध कराता है।
- **लक्ष्य (LaQshya):** 2017 में शुरू, प्रसव कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता सुधारने हेतु।

- **क्षमता निर्माण:** ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी दूर करने हेतु MBBS डॉक्टरों को एनेस्थीसिया और प्रसूति देखभाल (C-section सहित) में प्रशिक्षित किया जाता है।
- **मातृ मृत्यु निगरानी समीक्षा (MDSR):** संस्थानों और समुदाय स्तर पर लागू, ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।
- **ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (VHSND):** मातृ एवं शिशु देखभाल और पोषण हेतु मासिक आउटरीच गतिविधि।
- **RCH पोर्टल:** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की नाम-आधारित वेब ट्रैकिंग, ताकि उन्हें नियमित एवं पूर्ण सेवाएँ मिल सकें।

मातृ स्वास्थ्य में नवाचार

- **मध्य प्रदेश का 'दस्तक अभियान':** सामुदायिक-आधारित पहल, जो मातृ स्वास्थ्य जोखिमों की शीघ्र पहचान और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित करती है।
- **तमिलनाडु का आपातकालीन प्रसूति देखभाल मॉडल:** सुदृढ़ रेफरल प्रणाली, जो गर्भवती महिलाओं को समय पर आपातकालीन देखभाल उपलब्ध कराती है।

आगे की राह

- भारत ने मातृ मृत्यु दर कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और 2020 तक MMR को 100 से नीचे लाने का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
- हालाँकि, 2030 तक SDG लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
- स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार करना और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करना देश में मातृ मृत्यु दर को और कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

स्रोत: TOI

ईरानी संसद परमाणु संधि से संभावित बाहर निकलने पर विचार कर रही है

संदर्भ

- ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, ईरान की संसद परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से संभावित बाहर निकलने की समीक्षा कर रही है।

परिचय

- प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, सांसदों का कहना है कि यह:
 - ईरान को NPT से बाहर करेगा;
 - 2015 के परमाणु समझौते से जुड़े कानूनी दायित्वों को समाप्त करेगा;
 - अन्य देशों के साथ नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी पर सहयोग को समर्थन देगा।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT)

- ईरान NPT का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है, जबकि निगरानी के अंतर्गत शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों की अनुमति देता है।
- इसे 1968 में हस्ताक्षरित किया गया और 1970 में लागू किया गया। इसका लक्ष्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है।
- यह संधि विश्व को दो भागों में विभाजित करती है:
 - परमाणु हथियार संपन्न राज्य (NWS):** वे देश जिन्हें संधि पर हस्ताक्षर के समय परमाणु हथियार रखने वाले के रूप में मान्यता दी गई।
 - गैर-परमाणु हथियार राज्य (NNWS):** वे देश जो परमाणु हथियार विकसित या प्राप्त न करने पर सहमत हुए।
- संधि NWS को भी अच्छे विश्वास में निरस्त्रीकरण वार्ता करने के लिए बाध्य करती है।
- भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) 2015

प्रतिभागी:

- ईरान
- P5+1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, यूके, अमेरिका) + जर्मनी
- यूरोपीय संघ: वार्ता में भागीदार

ईरान की प्रतिबद्धताएँ:

- परमाणु प्रतिबंध:** ईरान ने उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम या प्लूटोनियम का उत्पादन न करने और अपने परमाणु संयंत्रों को नागरिक उद्देश्यों तक सीमित रखने पर सहमति दी।
- सेंट्रीफ्यूज सीमा:** ईरान ने सेंट्रीफ्यूज की संख्या, प्रकार और स्तर को सीमित किया तथा संवर्धित यूरेनियम का भंडार घटाया।
- यूरेनियम संवर्धन स्तर:**
 - 5%: परमाणु ऊर्जा हेतु
 - 20%: अनुसंधान या चिकित्सा उपयोग हेतु
 - 90%: हथियारों हेतु
- निगरानी और सत्यापन:** ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को घोषित और अघोषित दोनों स्थलों पर असीमित पहुँच देने पर सहमति दी।

अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं की प्रतिबद्धताएँ:

- प्रतिबंधों में राहत:** यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने परमाणु-संबंधी प्रतिबंध हटाने पर सहमति दी, हालांकि अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों, आतंकवाद समर्थन एवं मानवाधिकारों पर प्रतिबंध बनाए रखे।
 - अमेरिका ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाए लेकिन वित्तीय लेन-देन पर प्रतिबंध बनाए रखा।
 - IAEA द्वारा ईरान की गतिविधियों को नागरिक उद्देश्यों तक सीमित पाए जाने पर पाँच वर्षों बाद संयुक्त राष्ट्र के हथियार और मिसाइल प्रतिबंध हटाए गए।
- समझौते का उल्लंघन:** यदि कोई हस्ताक्षरकर्ता ईरान पर उल्लंघन का संदेह करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

परिषद प्रतिबंध राहत जारी रखने पर मतदान कर सकती है। यह “स्नैपबैक” तंत्र दस वर्षों तक प्रभावी रहता है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध स्थायी रूप से हटाए जाने हैं।

- **ट्रम्प का वापसी निर्णय:** 2018 में राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका को समझौते से बाहर कर दिया, जिसके बाद ईरान ने परमाणु गतिविधियाँ पुनः शुरू कीं।
- **ईरान की परमाणु गतिविधि:** 2023 में ईरान ने यूरेनियम को लगभग हथियार-स्तर तक संवर्धित किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय चिंताएँ बढ़ीं।
 - JCPOA के प्रमुख प्रावधान 2023 के अंत तक समाप्त होने लगे।

आगे की राह

- ईरान के सांसदों ने पहले भी बाहरी दबाव के जवाब में संधि से बाहर निकलने का विचार उठाया है।
- वर्तमान संघर्ष ने इस मुद्दे को पुनः राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
- अभी तक ईरान के संधि से बाहर निकलने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और परिणाम आंतरिक अनुमोदनों तथा संघर्ष की दिशा पर निर्भर करेगा।

स्रोत: TH

विश्व व्यापार संगठन का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

संदर्भ

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) याउंडे में संपन्न हुआ, जिसमें ई-कॉमर्स शुल्क स्थगन (moratorium) को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं बन सकी।

ई-कॉमर्स स्थगन क्या है?

- WTO सदस्य देशों ने 1998 में सहमति दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणों पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
- इसमें शामिल हैं:

- डिजिटल वस्तुएँ जैसे ई-पुस्तकें, सॉफ्टवेयर, संगीत और वीडियो गेम।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदत्त सेवाएँ जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
- यह स्थगन प्रत्येक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में द्विवार्षिक रूप से नवीनीकृत किया गया है।
- इसका समापन 31 मार्च 2026 को होगा, जिसके बाद देश डिजिटल व्यापार पर शुल्क लगा सकेंगे।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) में प्रमुख मुद्दे

- **विस्तार पर सहमति का अभाव:** अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे विकसित देशों ने दीर्घकालिक या स्थायी विस्तार का समर्थन किया।
 - भारत सहित विकासशील देशों ने राजस्व हानि और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नीति-निर्माण की स्वतंत्रता कम होने की आशंका के कारण इसका विरोध किया।
 - अवधि (2 वर्ष बनाम 5 वर्ष) पर असहमति ने वार्ता को गतिरोध में डाल दिया।
- **TRIPS गैर-उल्लंघन स्थगन:**
 - TRIPS समझौते के अंतर्गत गैर-उल्लंघन शिकायतों के विरुद्ध सुरक्षा समाप्त हो गई।
 - 1995 से यह सुरक्षा विकासशील देशों के नीति-निर्माण क्षेत्र की रक्षा करती रही थी।
 - इसके बिना, WTO-अनुपालन उपाय जैसे अनिवार्य लाइसेंसिंग भी विकसित देशों द्वारा चुनौती दिए जा सकते हैं।
 - भारत के लिए यह भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(d) पर विवाद का जोखिम बढ़ाता है, जो पहले से ज्ञात दवाओं पर पेटेंट को तब तक रोकता है जब तक नई दवा अधिक प्रभावी न हो। यह पेटेंट के “एवरग्रीनिंग” को रोकता है।
- **मत्स्य पालन सब्सिडी:**
 - सदस्य देशों ने 2022 के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के लागू होने का स्वागत किया।

- यह अवैध मत्स्य पालन, पहले से समाप्त हो चुकी प्रजातियों का पुनर्स्थापन प्रयास किए बिना शिकार, और खुले समुद्र में अनियमित मत्स्य पालन पर प्रतिबंध लगाता है।
- हालांकि, यह समझौता अत्यधिक क्षमता और अत्यधिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडियों को शामिल नहीं करता।
- सदस्य देशों ने 15वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इन अनसुलझे मुद्दों पर वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई।

भारत द्वारा प्रस्तुत मुख्य सिद्धांत

- **विकास-केंद्रित बहुपक्षवाद:** भारत ने खुले व्यापारिक प्रणाली के महत्व पर बल दिया और मारकेश समझौते में निहित गैर-भेदभाव के सिद्धांत को दोहराया।
- **खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण (PSH):** भारत ने PSH पर स्थायी समाधान की माँग की।
 - भारतीय किसानों का बड़ा हिस्सा छोटे और संसाधन-सीमित है।
 - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- **विशेष और भिन्न उपचार (S&DT):** भारत ने विकासशील देशों और न्यूनतम विकसित देशों (LDCs) के लिए प्रभावी S&DT प्रावधानों की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वैश्विक व्यापार में संरचनात्मक असमानताओं को दूर किया जा सके।
- **विवाद निपटान तंत्र:** भारत ने पूर्ण रूप से कार्यशील, स्वचालित और बाध्यकारी विवाद निपटान प्रणाली को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
 - अपीलिय निकाय की वर्तमान निष्क्रियता WTO की विश्वसनीयता को कमजोर करती है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित है।
- **इतिहास:** WTO, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित सामान्य शुल्क और व्यापार समझौते (GATT) का उत्तराधिकारी है।

- **मारकेश समझौता:** 1994 में 123 देशों द्वारा हस्ताक्षरित, जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई।
- **मुख्यालय:** जेनेवा, स्विट्जरलैंड
- **सदस्य:** WTO के 166 सदस्य देश हैं।
- **अधिदेश:** इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है, जो सदस्य देशों द्वारा चर्चा और हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों के माध्यम से किया जाता है।
 - मारकेश समझौते की प्रस्तावना इस संगठन के विकासात्मक उद्देश्यों को प्राथमिकता देती है।

WTO की संगठनात्मक संरचना

- **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन:** WTO की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था, जो सामान्यतः प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित होती है।
 - इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और वे किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते से संबंधित मामलों पर निर्णय ले सकते हैं।
- **सामान्य परिषद:** यह मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के ठीक नीचे है और वर्ष में कई बार जेनेवा स्थित WTO मुख्यालय में बैठक करती है।
 - यह व्यापार नीति समीक्षा निकाय और विवाद निपटान निकाय के रूप में बैठक करती है।
- **TRIPS परिषद:** यह वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा से संबंधित है तथा सामान्य परिषद को रिपोर्ट करती है।

स्रोत: TH

रॉकेट के पुनः प्रवेश से वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न होता है

संदर्भ

- हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि फाल्कन 9 जैसे रॉकेटों का पुनः प्रवेश ऊपरी वायुमंडल की रसायन संरचना को बदल रहा है, जिससे लिथियम परमाणुओं में दस गुना वृद्धि हो रही है।

अंतरिक्ष गतिविधियों से वायुमंडलीय प्रदूषण

- उपग्रह और रॉकेटों में एल्युमिनियम मिश्रधातु और लिथियम-आयन बैटरियाँ होती हैं।

- पुनः प्रवेश के दौरान ये पदार्थ जलकर वाष्पित हो जाते हैं तथा धातुओं को मेसोस्फीयर तथा निम्न थर्मोस्फीयर (MLT क्षेत्र) में छोड़ते हैं।
- **अंतरिक्ष मलबे का खतरा:** इसमें सभी गैर-कार्यात्मक, मानव निर्मित वस्तुएँ शामिल हैं, जैसे टुकड़े और घटक, जो पृथ्वी की कक्षा में या वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते हैं।
 - नासा के अनुसार, मलबा 18,000 मील प्रति घंटे की गति से चल सकता है, जो गोली की गति से 10 गुना अधिक है।

चिंताएँ

- **वायुमंडलीय रसायन पर प्रभाव:** कृत्रिम धातुएँ ऊपरी वायुमंडलीय परतों की प्राकृतिक संरचना को बदल देती हैं। प्राकृतिक अंतरिक्ष धूल केवल ~80 ग्राम/दिन लिथियम प्रदान करती है, जबकि रॉकेट इससे कहीं अधिक मात्रा में लिथियम छोड़ते हैं।
- **केसलर सिंड्रोम:** यह एक सैद्धांतिक परिदृश्य है जिसमें निम्न पृथ्वी कक्षा में कृत्रिम वस्तुओं के बीच टकराव की श्रृंखला से मलबे की मात्रा तीव्र से बढ़ जाती है, जिससे निकट-पृथ्वी अंतरिक्ष का उपयोग लंबे समय तक असंभव हो जाता है।
- **ओज़ोन परत के लिए खतरा:** धातु कण रासायनिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकते हैं जो ओज़ोन को नष्ट करती हैं, जिससे हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रभावित होती है।
- **जलवायु प्रभाव:** वायुमंडलीय संरचना में परिवर्तन विकिरण संतुलन और ऊष्मा धारण गुणों को प्रभावित कर सकता है, जिससे जलवायु प्रणाली पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समझौते

- **स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन, 1972:** यह परिभाषित करता है कि यदि कोई अंतरिक्ष वस्तु हानि पहुँचाती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी।
 - संधि कहती है कि “प्रक्षेपण करने वाला राज्य पृथ्वी की सतह या विमान को उसकी अंतरिक्ष वस्तुओं

से हुए हानि के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा और अंतरिक्ष में अपनी गलती से हुए हानि के लिए उत्तरदायी होगा।”

- **ज़ीरो डेब्रिस चार्टर:** बारह देशों और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने ESA/EU स्पेस काउंसिल में इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष में मलबा-न्यूट्रल बनना है।

अंतरिक्ष मलबा हटाने के मिशन

- **रिमूवडेब्रिस मिशन:** यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में मलबा हटाने का प्रदर्शन मिशन है, जिसका उद्देश्य सक्रिय मलबा हटाने की विभिन्न तकनीकों का परीक्षण और सत्यापन करना है।
- **स्पेस डेब्रिस रिमूवल सिस्टम (SDRS):** यह रूसी अंतरिक्ष एजेंसी (रोसकॉसमॉस) का प्रस्तावित मिशन है, जिसका उद्देश्य निम्न पृथ्वी कक्षा से मलबा हटाने की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **प्रोजेक्ट नेट्रा (अंतरिक्ष वस्तुओं की ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए नेटवर्क):** यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ISRO द्वारा शुरू की गई, जो भारतीय उपग्रहों के लिए अंतरिक्ष खतरों का पता लगाने में सहायता करती है।
 - यह परियोजना भारत को अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) की अपनी क्षमता प्रदान करेगी, जो अन्य अंतरिक्ष शक्तियों के पास पहले से है।
 - SSA का उपयोग भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे से उत्पन्न खतरों की भविष्यवाणी करने में किया जाता है।
- **सुरक्षित और सतत संचालन प्रबंधन के लिए ISRO प्रणाली (IS4OM):** 2022 में स्थापित, यह लगातार उन वस्तुओं की निगरानी करता है जो टकराव का खतरा उत्पन्न करती हैं और अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न जोखिम को कम करती है।

आगे की राह

- एकल रॉकेट पुनः प्रवेश से उत्पन्न लिथियम धुएँ का पता लगाना अंतरिक्ष गतिविधियों के एक पहले से उपेक्षित

आयाम को उजागर करता है — इसका वायुमंडलीय प्रभाव।

- जैसे-जैसे अंतरिक्ष संचालन का पैमाना तीव्रता से बढ़ रहा है, सक्रिय निगरानी, सतत डिज़ाइन और वैश्विक नियामक प्रयास पृथ्वी की वायुमंडलीय प्रणाली में दीर्घकालिक व्यवधान को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक होंगे।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

जनगणना 2027

संदर्भ

- भारत अपनी आगामी जनगणना डिजिटल रूप से करने जा रहा है, जिसका आरंभ 2026 में होगा और यह 1 मार्च 2027 तक संपन्न होगी।

भारत में जनगणना

- जनगणना किसी क्षेत्र की जनसंख्या का सर्वेक्षण है, जिसमें आयु, लिंग और व्यवसाय सहित देश की जनसांख्यिकी का विवरण संकलित किया जाता है।
 - यह सामान्यतः प्रत्येक दस वर्ष में की जाती है। 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी।
 - सरकार ने भारत के प्रत्येक “सामान्य निवासी” के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) में पंजीकरण अनिवार्य किया है।
 - NPR नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के अंतर्गत तैयार किया जाता है।
- **इतिहास:** भारत में प्रथम समकालिक दशकीय जनगणना 1881 में जनगणना आयुक्त W.C. प्लाउडेन के अधीन की गई थी।
 - स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई और तब से यह प्रत्येक दशक के पहले वर्ष में होती रही है।

- संविधान जनगणना का प्रावधान करता है, लेकिन जनगणना अधिनियम, 1948 इसकी समयावधि या आवृत्ति निर्दिष्ट नहीं करता।
- जनगणना भारत के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा की जाती है।

जनगणना 2027 की प्रमुख विशेषताएँ

- **प्रथम डिजिटल जनगणना:** मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
- **बहुभाषी पहुँच:** स्व-गणना पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा।
- **जाति गणना:** 1931 के बाद यह पहली जनगणना होगी जिसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से परे विस्तृत जातिगत आँकड़े संकलित किए जाएँगे।
- **प्रशासनिक इकाइयों में प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन:** भारत में अब 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो 2011 की जनगणना से एक अधिक है।
 - जिलों की संख्या 640 से बढ़कर 784 हो गई है।
 - **शहरी विस्तार:**
 - सांविधिक नगर 4,041 से बढ़कर 5,128 हो गए।
 - जनगणना नगर 3,892 से बढ़कर 4,580 हो गए।

स्रोत: TH

अरब लीग

संदर्भ

- अरब राज्यों की लीग परिषद ने ईरान द्वारा कई अरब देशों पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है।

परिचय

- अरब लीग, जिसे आधिकारिक रूप से अरब राज्यों की लीग कहा जाता है, 1945 में काहिरा में सात सदस्य देशों के साथ स्थापित हुई थी।
 - **सात संस्थापक सदस्य:** मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन।

- वर्तमान में इसके 22 सदस्य देश हैं।
- सदस्य राष्ट्र मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में स्थित हैं।
- इसने आर्थिक और सैन्य मामलों में सहयोग का संकल्प लिया है।
- लीग परिषद सर्वोच्च निकाय है और इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- लीग बहुमत से निर्णय लेती है, लेकिन सदस्यों को प्रस्तावों का पालन करने के लिए बाध्य करने का कोई तंत्र नहीं है।
- चार देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है: ब्राज़ील, इरीट्रिया, भारत और वेनेजुएला।

स्रोत: AIR

भारत में बीमा कंपनियों हेतु लेखा मानक ढाँचा

समाचार में

- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 1 अप्रैल 2026 से बीमा क्षेत्र के लिए भारतीय लेखा मानक (Ind AS) आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचा लागू किया है।

परिचय

- 2026 से पूर्व, बीमा कंपनियाँ बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत भारतीय GAAP (I-GAAP) का पालन करती थीं।
- अधिकांश सूचीबद्ध कंपनियाँ और NBFC पहले ही Ind AS में स्थानांतरित हो चुकी थीं, बीमा क्षेत्र अंतिम प्रमुख अपवाद था।

प्रमुख प्रावधान

- जीवन, सामान्य, स्वतंत्र स्वास्थ्य और पुनर्बीमा सभी श्रेणियों पर लागू।
- वित्तीय विवरणों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति और प्रकटीकरण हेतु ढाँचा निर्धारित करता है।
- दो वर्षों तक समानांतर रिपोर्टिंग — बीमा कंपनियों को Ind AS और वर्तमान ढाँचे दोनों के अंतर्गत वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होंगे।

- इस अवधि में भी बीमा कंपनियों को IRDAI को Ind AS आधारित वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

Ind AS क्या है?

- भारतीय लेखा मानक (Ind AS) — भारत का लेखा ढाँचा, जो IFRS (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक) के अनुरूप है।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा अधिसूचित।
- **बीमा कंपनियों हेतु दो प्रमुख मानक:**
 - Ind AS 109 — वित्तीय उपकरण (फरवरी 2015 में अधिसूचित)
 - Ind AS 117 — बीमा अनुबंध (अगस्त 2024 में अधिसूचित); यह वैश्विक IFRS 17 का भारतीय समकक्ष है।
- यह बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत वर्तमान I-GAAP ढाँचे को प्रतिस्थापित करता है।

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI)

- IRDAI एक वैधानिक निकाय है, जिसे संसद के अधिनियम — बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (IRDA अधिनियम, 1999) के अंतर्गत स्थापित किया गया।
- इसके अधिकार और कार्य उसी अधिनियम, 1999 तथा बीमा अधिनियम, 1938 में निर्दिष्ट हैं।
- IRDA अधिनियम, 1999 की धारा 14 में प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है।

स्रोत: TH

आंध्र प्रदेश में जहाज निर्माण एवं मरम्मत क्लस्टर

संदर्भ

- भारत की समुद्री दृष्टि के अंतर्गत आंध्र प्रदेश एक प्रमुख जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्र के रूप में उभर रहा है।

परिचय

- राज्य के पास लंबा समुद्र तट, नीतिगत समर्थन और रक्षा-औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो लंबे समय से उपेक्षित क्षमता को रणनीतिक एवं आर्थिक अवसर में बदल सकता है।

- भारत सरकार ने तिरुपति जिले के दुगराजपट्टनम को अपने महत्वाकांक्षी जहाज निर्माण क्लस्टर पहल के पाँच प्रमुख स्थलों में से एक के रूप में पहचाना है। अन्य स्थल तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।

भारत का समुद्री क्षेत्र

- वर्तमान में यह भारत के GDP में 4% योगदान देता है और वैश्विक टन भार का केवल 1% है। लक्ष्य इसे राष्ट्रीय GDP के 12% तक बढ़ाने का है।
 - भारत का स्पष्ट लक्ष्य है कि 2030 तक शीर्ष 10 समुद्री देशों में और 2047 तक शीर्ष 5 में शामिल हो, जबकि वर्तमान में यह 16वें स्थान पर है।
- भारतीय नाविक पहले से ही वैश्विक कार्यबल का 12% हिस्सा है। लक्ष्य इसे लगभग 25% तक बढ़ाना है।
- समुद्री क्षेत्र भारत के व्यापार का 95% (आयतन के आधार पर) संभालता है।
- FY24 में भारतीय बंदरगाहों पर माल प्रबंधन 4.45% बढ़कर 819.22 मिलियन टन तक पहुँच गया।
- वर्तमान में भारत वैश्विक जहाज निर्माण बाजार का केवल 0.06% हिस्सा रखता है, जबकि चीन, दक्षिण कोरिया और जापान मिलकर 85% उद्योग पर नियंत्रण रखते हैं।

स्रोत: TH

“भावसागर” रेफरल केंद्र

समाचार में

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने कोच्चि, केरल स्थित समुद्री जीवित संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र (CMLRE) के “भावसागर” रेफरल केंद्र को भारत का राष्ट्रीय गहरे समुद्री जीव-जंतु भंडार घोषित किया है।

परिचय

- यह नामांकन “भावसागर” रेफरल केंद्र को भारत की गहरे समुद्र की जैविक धरोहर के संरक्षण, अध्ययन और प्रलेखन हेतु एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुविधा बनाता है।
- केंद्र में वर्तमान में 3,500 से अधिक टैक्सोनॉमिक रूप से पहचाने गए और भू-संदर्भित नमूने संग्रहित हैं।

- जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत यह भंडार अधिकृत है:
 - प्रतिनिधि जैविक नमूनों (जैसे DNA अनुक्रम) को संरक्षित करने हेतु।
 - किसी भी नई गहरे समुद्र की प्रजाति का आधिकारिक संरक्षक बनने हेतु।
- **क्षमता निर्माण:** सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान के UN दशक (2021–2030) के लक्ष्यों के अनुरूप।

समुद्री जीवित संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र (CMLRE)

- 1998 में स्थापित, यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन एक प्रमुख संस्थान है।
- यह समुद्री जीवित संसाधनों की खोज, प्रबंधन और संरक्षण के लिए समर्पित है।
- CMLRE भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और समीपवर्ती गहरे समुद्रों में कार्य करता है।

स्रोत: TH

GRSE द्वारा भारतीय नौसेना को तीन अग्रिम पंक्ति प्लेटफॉर्म की आपूर्ति

संदर्भ

- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने भारतीय नौसेना को तीन अग्रिम पंक्ति प्लेटफॉर्म — INS दुनेगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय — सौंपे।
- इसके साथ GRSE ने 118 युद्धपोतों का निर्माण करने का माइलस्टोन प्राप्त किया है, जिनमें से 80 भारतीय नौसेना को दिए गए हैं।

INS दुनेगिरी (उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट)

- यह GRSE द्वारा निर्मित परियोजना 17A का दूसरा जहाज है।
- 149 मीटर लंबा और 6,670 टन वजनी फ्रिगेट है।
- इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, उन्नत AESA रडार और एकीकृत युद्ध प्रबंधन प्रणाली लगी है।
- यह संयुक्त डीज़ल और गैस (CODAG) प्रणोदन प्रणाली पर चलता है।

- यह वायु, सतह और जलमग्न सभी क्षेत्रों में बहुआयामी युद्ध करने में सक्षम है।

INS संशोधक (सर्वे पोत - बड़ा)

- यह अपने वर्ग का चौथा और अंतिम पोत है।
 - इसे तटीय और गहरे जल में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण तथा महासागरीय डेटा संग्रह हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- यह हेलीकॉप्टर संचालन, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) मिशन और सीमित युद्ध भूमिकाओं का भी समर्थन करता है।

INS अग्रय (ASW शैलो वॉटरक्राफ्ट)

- इसे विशेष रूप से तटीय जल में पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) के लिए डिज़ाइन किया गया है।
 - इसमें ~88% स्वदेशी सामग्री है।
 - इसमें हल्के टॉरपीडो, ASW रॉकेट और 30 मिमी नौसैनिक तोप लगी है।
- इसका उथला ड्राफ्ट और वॉटरजेट प्रणोदन तटीय क्षेत्रों में संचालन क्षमता को बढ़ाता है।

स्रोत: AIR

